

कार्यवाही

प्रतिष्ठान, प्राथमिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या - प्राथिप/परीषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक 09/08/2021

कार्यवाही संख्या:

अखिल भारतीय लखनऊ की शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यवाही कार्यालय और इतिहास, नई दिल्ली द्वारा वैदिक सत्र 2021-22 हेतु विद्यार्थी भारतीय लखनऊ की शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उद्देश्य से प्राथमिक शिक्षा परिषद, (30/09) लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विवरण प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यवाही में सम्बद्धता समिति की बैठक संवत् हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संबंधित संस्थाओं को सम्बद्धता विवरण: पाठ्यक्रम, प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विवरण प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार में शिक्षा संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, (30/09) लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रदेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विवरण प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1222-J S B COLLEGE OF PHARMACY,VILL & POST-KOSI KHURD, BHARATPUR ROAD, MATHURA-281005

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एचआईएससी/सीबीएसई द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एचआईएससी/सीबीएसई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमसभाली 1962, सेक्टर विनियमसभाली-2016 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के अंतर्गत पाठ्यक्रमों हेतु राश 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों कार्यवाही पाठ्यक्रम हेतु राश-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों कार्यवाही पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु राश-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश शुल्क/पाठ्यक्रम में प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र-छात्राओं में शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सावधान्य द्वारा निर्दिष्ट किये जाने वाले सामन्वयेक प्रवृत्ति होगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाय आश्चर्य होगा। प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु प्राथमिक का पुनर्निर्धारण किया जाय है, तो प्राथमिक की अधीनस्थ दो लागू होगी।
- ✓ संस्था को (30/09) प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्धता विवरण प्रदान करने के लिए दिनांक 2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्दिष्ट सामन्वयेक के अनुसार निर्देशन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संसद को १०-आईसीटीआई०पीसी०आई० से आगामी वर्ष हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाने आवश्यक होगा।
- ✓ संसद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये विधिनियमों, अधिनियमों, संसदीय विधियों एवं विदेशिक शिक्षा, २०१०, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, २०१० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, २०१० द्वारा बनाये गये नियमों, विधिनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये कार्य होगी।
- ✓ विधेयक इन कार्यों की पर्याप्तता की संख्या यदि दो नई आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में आवश्यक रहती है तो इस संबंध में समस्त उपरोक्त विधेयक का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संसद कार्य उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा विदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई काद दाखर किया जाता है तथा दाखर काद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संसद को करनी होगी।
- ✓ विधेयक इन कार्यों की पर्याप्तता संबंधित करने वाली संसदों को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालय प्रारंभ होने के पूर्व १०-आईसीटीआई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यालय) के माध्यम से अथवा संसद द्वारा पर हींचे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत सहीरूप आदेशन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संसद को अपने वेबसाइट पर संसद की समस्त सूचनाएं जैसे संसद की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, धारण, साक्ष-साक्ष, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुका, साक्षात्कार सुका अदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संसद को शिक्षण प्रविधयन हेतु उपयुक्त साक्षात्कार उपलब्ध कराने के साथ वैदिक रीतियों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक साक्षर सुविधित करनी होगी।
- ✓ संसद यह सुविधित हो से कि संसद में प्रस्तावित संबंधित पर्याप्तता की चलाने जाने हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपलब्ध कराने गये अभिलेख, भूमि, धारण, कार्यालय, उपकरण इत्यादि का यदि संसद द्वारा किसी अन्य पर्याप्तता के संघटन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संसद उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संसद की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संसद के सहीरूप निर्देशन दौरान यदि संसद में भूमि, धारण, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साक्ष-साक्ष १०-आईसीटीआई०पीसी०आई० परिषद के समस्त उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संसद की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुसंधानकार्य कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पुसं०- प्राविधिक परिषद सम्बद्धता २०२१/१०१०-४०१

दिनांक: ०९/०८/२०२१

प्रतिनिधि-

प्रधान कार्य निदेशक J S B COLLEGE OF PHARMACY, VILL & POST-KOSHI KHURO, BHARATPUR ROAD, MATHURA-281005


(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

